



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012021-224523
CG-DL-E-18012021-224523

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]
No. 213]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2021/पौष 28, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2021/PAUSHA 28, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2021

का.आ. 233(अ)—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उपविभागीय कार्यालय आणि दंडाधिकारी मावळ मुळशी उपविभाग पुणे कार्यालय क्र .२११ मजला नवीन प्रशासकीय इमारतीसमोरील. कौन्सिल हॉल (NH753F) के कि.मी 1.275 से 31.4महाराष्ट्र राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH753F पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपविभागीय अधिकारी पुणे	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH753F के कि.मी. 1.275 से 31.4 तक	महाराष्ट्र	पुणे	मुळशी	1 दिसली
						2 जामगांव
						3 माले
						4 बावधन बुद्रुक
						5 भुगांव
						6 भुकुम
						7 आंबडवेठ
						8 दारवली
						9 अकोले
						10 पौड
						11 कासार- आंबोली
						12 विठ्ठलवाडी
						13 कोंढावले
						14 कळमशेत
						15 शेरे
						16 पिरंगुट

[F.N.: 12014/112/2017-MAH]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, Dated 18 January 2021

S.O. 233(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect

from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 1.275 to 31.4 of Sub Divisional Officer & magistrate Maval Mulshi Sub Division Pune Office No.211 2nd Floor New Administrative Building Opp. Council Hall Pune-1 (NH753F) in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH753F in the State of MAHARASHTRA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Sub Divisional Officer, Pune	1.275KM To 31.4KM	MAHARASHTRA	PUNE	Mulshi	1	Disali
						2	Jamgaon
						3	Maale
						4	Bavadhan Bk
						5	Bhugaon
						6	Bhukum
						7	Ambadveth
						8	Darawali
						9	Akole
						10	Paud
						11	Kasar Amboli
						12	Vithalwadi
						13	Kondhawale
						14	Kalamshet
						15	Shere
						16	Pirangut

[F.N.: 12014/112/2017-MAH]

RAJESH GUPTA, Director